



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 30.05.2024

जनपद बिजनौर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना के दृष्टिगत दिनांक 04.06.2024 की प्रातः 05.00 बजे से मतगणना समाप्ति तक रूट डायवर्जन व्यवस्था के संबंध में ।

जनपद बिजनौर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना के दृष्टिगत दिनांक 04-06-2024 की प्रातः 05:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक रूट डायवर्जन प्लान निम्नवत रहेगा -

- 1-सैंट मैरी चौराहा शहर बिजनौर से नजीबाबाद की ओर जाने वाला मार्ग सभी वाहनों के लिए पूर्णतः बन्द रहेगा ।
- 2- बिजनौर से वाया किरतपुर होते हुये नजीबाबाद, पौड़ी, कोटद्वार को जाने वाले सभी हल्के व भारी वाहन वाया मंडावर चौराहा शहर बिजनौर से मंडावर, मण्डावली होते हुये अपने गन्तव्य स्थान को जायेंगे ।
- 3- नजीबाबाद, पौड़ी, कोटद्वार से बिजनौर / मेरठ की ओर जाने वाले सभी हल्के व भारी वाहन वाया मंडावली, मंडावर, मंडावर चौराहा शहर बिजनौर होते हुये अपने गन्तव्य स्थान को जायेगे ।
- 4- मतगणना के दौरान आवश्यकता पडने पर नूरपुर से बिजनौर होते हुये मेरठ / मुजफ्फरनगर को जाने वाले भारी वाहन वाया नहतौर, कोतवाली देहात, नजीबाबाद, मंडावली, मंडावर, बिजनौर बाईपास होते हुये अपने गन्तव्य स्थान को भेजे जायेंगे व इसी मार्ग से होते हुये वापस जायेंगे।
- 5- जनपद के अन्य सभी मार्गों पर पूर्व की भांति आवागमन रहेगा । अतएव किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ।



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 30.05.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा धारा 135/138बी विद्युत अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:—

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2013 को अभियुक्त नाहर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम अगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा कनेक्शन विच्छेदन के उपरान्त अवैध रूप से बिजली चोरी करने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 1236/2013 धारा 135/138बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.05.2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल ई०सी० एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त नाहर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम अगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में 01 वर्ष कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:—

1.नाहर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम अगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक 30.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/24 धारा 341/354/323/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र 2- पंकज पुत्र सरजीत सिंह निवासीगण ग्राम हकीमपुर काजी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी की नाबालिग बेटी के साथ छेडखानी की तथा वादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 341/354/323/506 भादवि बनाम अर्जुन व पंकज उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को मु0अ0सं0 233/24 धारा 341/354/323/506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1- अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र 2- पंकज पुत्र सरजीत सिंह निवासीगण ग्राम हकीमपुर काजी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम हकीमपुर काजी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2- पंकज पुत्र सरजीत सिंह निवासी ग्राम हकीमपुर काजी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2- मुख्य आरक्षी 519 पीयूष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 3- आरक्षी 962 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नहतौर

दिनांक 30.05.2024

थाना नहतौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2024 को वादी श्री रोहित पुत्र मुकेश कुमार निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कपिल, 2.प्रमोद पुत्रगण हरपाल, 3.लक्ष्मी पत्नी हरपाल व 4. हरपाल पुत्र नन्हे निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा आरोपी कपिल ने वादी के ऊपर जान से मारने के नियत से फावड़े से वार कर घायल कर दिया एवं वादी के चाचा गणेश के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम कपिल आदि उपरोक्त कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त हरपाल पुत्र नन्हे निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट-दिनांक 21.02.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त कपिल पुत्र हरपाल उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त एक फावडा सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.हरपाल पुत्र नन्हे निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 2159 आकाश थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1276 राहुल कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 30.05.2024

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की ई – रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 29.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान ई – रिक्शा चालक नसीम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर मय को रोककर ई – रिक्शा के चेचिस नं0 MVAK23DPEF001375 को ई – चालान एप्प पर चेक किया गया तो उक्त ई- रिक्शा अशवेन्द्र शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी 597 विवेकानन्द थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के नाम पर पंजीकृत है। थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की ई – रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 250/2024 धारा 41 दं0प्र0सं0 व धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया।



उक्त ई – रिक्शा चोरी के सम्बंध में दिनांक 14.01.2024 को वादी श्री अशवेन्द्र शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी 597 विवेकानन्द थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 24/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नसीम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की ई – रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना स्योहारा

दिनांक 30.05.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 363/366/506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.03.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की धेवती को बहला फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 131/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 04.04.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 366/506 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियोग में अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र मुनीदेव निवासी निवासी डयोटी थाना बछरायुं जनपद अमरोहा 2.भूपेन्द्र पुत्र स्व0 काले निवासी ग्राम चुचेला थाना धनौरा जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 363/366/506 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र मुनीदेव निवासी डयोटी थाना बछरायुं को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.सोनू पुत्र मुनीदेव निवासी ग्राम डयोटी थाना बछरायुं जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 (प्रशिक्षु) हिमांशु थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 3.मुख्य आरक्षी 137 असकर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 30.05.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गा सिंह निवासी मौ0 फतेहनगर कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. रंजीत सिंह सैनी पुत्र बाबूराम सैनी निवासी मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
3. हिरदेश पुत्र होशराम निवासी ग्राम आराजी कंधला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
4. ब्रजेश पुत्र होशराम निवासी ग्राम आराजी कंधला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
5. होशराम पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी ग्राम आराजी कंधला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 आशीष पुनिया थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
3. का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
4. का0 2082 बिन्दू कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
5. का0 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 30.05.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने दो वाहन चोरों को चोरी की गयी 03 मोटरसाइकिलों सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी किये गये वाहनों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 29/30.05.2024 की रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.देवदास पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.सुहेल पुत्र जुल्फिकार निवासी सरकथलसानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशादेही पर खो बैराज गेस्ट हाउस के पीछे जाने वाले कच्चे रास्ते से चोरी की गयी 02 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गयी । इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 420/465/414/411 भादवि व धारा 41/102 दं0प्र0सं0 बनाम देवदास व सुहेल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हमने हीरो स्पेलण्डर प्लस मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट जिसका रंग काला है, को कुछ समय पहले चांदपुर से खरीदा था तथा इसके चेचिस नम्बर को मिटा दिया था कि मोटर साइकिल को किसी व्यक्ति को धोखा देकर बेच देंगे । हम दोनो ने बुलेट मोटरसाइकिल को करीब 05 महीने पहले थाना बढापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में एक मकान से चोरी किया था तथा दूसरी हीरो स्पलेण्डर मौ0 साइकिल हम दोनो ने थाना अफजलगढ क्षेत्र से एक माह पहले चोरी किया था । चोरी की दोनो मोटरसाइकिलों को बेचने के उद्देश्य से छिपाकर रखा था तथा इन्हे बेचने की फिराक में थे ।

मोटरसाइकिल रॉयल इनफिल्ड बुलेट रंग काला रजिस्ट्रेशन नं0 UP20CH5148 की चोरी के सम्बंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 12/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है तथा मोटर साइकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस रंग काला रजिस्ट्रेशन नं0 UP20BF0863 की चोरी के सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 148/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है । बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सुहैल पुत्र जुल्फिकार निवासी सरकथलसानी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. देवदास पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1. मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20BF0863
2. रॉयल इनफील्ड बुलेट रंग काला रजिस्ट्रेशन सं० UP20CH5148
3. मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त देवदास का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 120/2024 धारा 420/465/414/411 भादवि व धारा 41/102 दं०प्र०सं० थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 14/24 धारा 411/414/420/468/471 भादवि व 41/102 दं०प्र०सं० थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद
3. मु०अ०सं० 12/2024 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 148/2024 धारा 379 भादवि थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

अभियुक्त सुहैल का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 120/2024 धारा 420/465/414/411 भादवि व धारा 41/102 दं०प्र०सं० थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 12/2024 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 148/2024 धारा 379 भादवि थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री धीरज सिंह थानाध्यक्ष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. उ०नि० विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. उ०नि० जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. कां० 2082 बिन्दु कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. कां० 1945 विक्रम सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6. कां० 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना नहतौर

दिनांक 30.05.2024

थाना नहतौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 207 / 24 धारा 307 / 323 / 504 / 506 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2024 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र घासीराम निवासी मौ0 धर्मशाला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अरविन्द पुत्र रतन सिंह निवासी मौ0 होलियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने वादी के पुत्र राजकुमार के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की तथा वादी के सिर पर लोहे की रॉड से जान से मारने की नियत से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 207 / 24 धारा 307 / 323 / 504 / 506 भादवि बनाम अरविन्द उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 207 / 24 धारा 307 / 323 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र रतन सिंह निवासी मौ0 होलियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक लोहे की सरिया सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अरविन्द पुत्र रतन सिंह निवासी मो0 होलियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी 749 राजदीप थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 695 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना मण्डावली

दिनांक 30.05.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 83/24 धारा 308/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.05.2024 को वादिनी नेहा पुत्र कोमल निवासी ग्राम शेखुपुरा आलम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त गंगादास पुत्र यादराम निवासी ग्राम शेखुपुरा आलम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की जिससे वादिनी बेहोश हो गयी तथा अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 83/24 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.05.2024 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 83/24 धारा 308/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त गंगादास पुत्र यादराम निवासी ग्राम शेखुपुराआलम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.गंगादास पुत्र यादराम निवासी ग्राम शेखुपुराआलम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 हरिओम गौतम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 1380 इमरान खान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।